

निविदा आमंत्रण सूचना

बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान (बीईडीएफ), जो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1861 के तहत पंजीकृत एक संस्था है और जिसकी स्थापना कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा), वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की गई है, अपने रासायनिक प्रयोगशाला बीईडीएफ, एस.वी.पी.यू.ए.टी. परिसर, मोदीपुरम, मेरठ में उपयोग हेतु “हिपुरा (HiPurA) प्लांट जीनोमिक DNA किट(HiPurA Plant Genomic DNA Miniprep Purification Kit-Himedia)” की खरीद के लिए निविदाएं आमंत्रित करता है। बोली का प्रारूप वेबसाइट www.apeda.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

निर्धारित प्रारूप में पूर्ण रूप से भरे गए बोलियां, मुहरबंद लिफाफे में, जिस पर “हिपुरा (HiPurA) प्लांट जीनोमिक DNA किट(HiPurA Plant Genomic DNA Miniprep Purification Kit-Himedia)” की खरीद के लिए बोली ” लिखा हो, 27 जुलाई 2026 को शाम 5:00 बजे तक निम्नलिखित पते पर जमा किए जा सकते हैं:

संयुक्त निदेशक

बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान (एपीडा, वाणिज्य मंत्रालय,
भारत सरकार) प्रयोगशाला-सह-कार्यालय परिसर,
एस.वी.पी.यू.ए.टी. पुराना परिसर, मोदीपुरम मेट्रो स्टेशन के पास,
मोदीपुरम, मेरठ-250110 (उत्तर प्रदेश)

बोली आवेदन पत्र

क)	कंपनी/फर्म/व्यक्ति का नाम	
ख)	बोलीदाता का पता	
ग)	ईमेल आईडी	
घ)	फोन/मोबाइल संख्या	
ड)	पैन संख्या	
च)	जीएसटी संख्या	
छ)	पंजीकरण संख्या	

नोट:-

- क) बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि निविदा जमा करने के दौरान किसी अप्रत्याशित कठिनाई से बचने हेतु बोली को पूर्ववत् पर्याप्त समय से जमा करें।
- ख) सशर्त बोलियां स्वीकार्य नहीं होंगी और उन्हें सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- ग) आवेदन जमा करने की समय-सीमा के बाद प्राप्त बोलियों पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा और न ही उन्हें खोला जाएगा। ई-मेल के माध्यम से प्राप्त बोलियों पर भी विचार नहीं किया जाएगा।
- घ) प्रस्तुत की गई निविदा में किसी प्रकार का संशोधन या प्रतिस्थापन अनुमन्य नहीं होगा। तथापि, कोई आवेदक आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात अपनी निविदा वापस ले सकता है, बशर्ते कि वापसी का लिखित अनुरोध आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम समय-सीमा से पूर्व बीईडीएफ को प्राप्त हो जाए। यदि कोई आवेदक पुनः आवेदन प्रस्तुत करना चाहता है, तो उसे निर्धारित तिथि तक सभी लागू शर्तों का पालन करते हुए नया आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर/मुहर

दिनांक

बोलीदाता हस्ताक्षर

बोलीदाता मुहर

अनुलग्नक - क

नियम एवं शर्तें

1. बीईडीएफ मोदीपुरम की DNA प्रयोगशाला में उपयोग के लिए DNA एक्सट्रैक्शन किट (Hi-Pure प्लांट जीनोमिक DNA मिनीप्रेप प्यूरिफिकेशन किट-himedia) की खरीद हेतु पात्र और मूल आपूर्तिकर्ताओं से निविदाएं आमंत्रित हैं।
2. कैटलॉग नंबर MB 507-250PR, HiPurA प्लांट जीनोमिक DNA मिनीप्रेप प्यूरिफिकेशन स्पिन किट, Hi-media, 250 प्रेप/पैक।
3. खरीद आदेश जारी होने पर, सूचीबद्ध वस्तुओं को BEDF लेबोरेटरी कॉम्प्लेक्स, SVPUAT (पुराना परिसर), रुड़की रोड, मोदीपुरम, मेरठ, UP में वितरित किया जाना है।
4. ऊपर बताए गए मद की आपूर्ति के लिए हमें एक साल के रेट कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत है।
5. हर मद का मूल्य सिर्फ INR में बताया जाना चाहिए, जिसमें लागू टैक्स भी शामिल हों।
6. बोली दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर बोलीदाता द्वारा हस्ताक्षरित और मुहर लगा होना अनिवार्य है।
7. यह विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए कि कोटेशन जमा करने के बाद दरों में वृद्धि की अनुमति नहीं दी जाएगी।
8. आपूर्तिकर्ता के पास वैध जीएसटी नंबर होना चाहिए। कोटेशन के साथ इसके पंजीकरण प्रमाण पत्र की स्कैन की गई प्रति जमा की जानी चाहिए।
9. बिल/चालान का भुगतान सामग्री की आपूर्ति के बाद ही जारी किया जाएगा। विलंबित भुगतान पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। भुगतान टीडीएस (यदि लागू हो) की कटौती के बाद सीधे आपूर्तिकर्ताओं के बैंक खाते में आरटीजीएस के माध्यम से किया जाएगा। भुगतान के किसी अन्य तरीके के लिए कोई अनुरोध स्वीकार्य नहीं होगा।
10. यदि बीईडीएफ की किसी भी प्रयोगशाला को आपूर्ति की गई मदों का कोई भी बैच दोषपूर्ण, कम प्रदर्शन करने वाला या किसी भी तरह से अनुपयुक्त पाया जाता है, तो बोलीदाता को उस प्रयोगशाला में, जहाँ समस्या देखी गई है, बिना किसी देरी के और निःशुल्क समान संख्या/मात्रा में उचित श्रेणी की मदों से बदलना होगा।
11. आपूर्तिकर्ता द्वारा ली गई दरें उसी मद के लिए दूसरों से ली जाने वाली प्रचलित दरों से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस संबंध में किसी भी उल्लंघन को बीईडीएफ द्वारा गंभीरता से लिया जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप बिल से कटौती के अलावा अनुबंध रद्द किया जा सकता है और भविष्य के लेनदेन पर रोक लगाई जा सकती है।
12. आमतौर पर कॉन्ट्रैक्ट उस सबसे कम बोली लगाने वाले (बिडर) को दिया जाता है जिसकी बोली नियमों के अनुसार सही पाई जाती है और जो टेंडर लेटर में दी गई शर्तों को पूरा करता है (अगर टेंडर में कई तरह के आइटम हैं, तो ज्यादातर आइटम के लिए सबसे कम बोली लगाने वाले को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है)। लगातार सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए, बीईडीएफ के पास अलग-अलग आइटम के कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक या एक से ज्यादा फर्म को चुनने या किसी को भी न चुनने का अधिकार है।

13. बीईडीएफ के पास अनुबंध/आदेश देने से पहले किसी भी समय बिना कोई कारण बताए और बिना किसी दायित्व के घोषणा को वापस लेने, किसी भी या सभी बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है। बीईडीएफ के पास कीमतों को कम करने या अधिक सुविधाएं जोड़ने के लिए चयनित एजेंसियों के साथ बातचीत करने का अधिकार भी सुरक्षित है।

बीईडीएफ के पास निम्नलिखित अधिकार सुरक्षित हैं:

- 1) अपने विवेक से आवेदन/बोली दस्तावेज जमा करने की समय-सीमा को बढ़ाना।
- 2) अनुबंध/आदेश दिए जाने से पहले किसी भी समय, बिना कोई कारण बताए और बीईडीएफ पर बिना किसी उत्तरदायित्व के, किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करना।
- 3) बिना कोई कारण बताए, 15 दिन पूर्व सूचना देकर किसी भी समय अनुबंध को आंशिक या पूर्ण रूप से समाप्त करना। आपूर्तिकर्ता इस तरह की समाप्ति के विरुद्ध किसी भी मुआवजे का दावा करने का हकदार नहीं होगा।
- 4) यदि बीईडीएफ की राय में सार्वजनिक हित में आवश्यक या समीचीन हो, तो परियोजना को स्थगित करना या चयनित पक्ष के साथ अनुबंध को किसी भी समय आंशिक या पूर्ण रूप से रद्द करना। इस संबंध में बीईडीएफ का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। बीईडीएफ उपरोक्त कार्रवाई से होने वाली किसी भी क्षति या हानि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
- 5) यदि बीईडीएफ की राय में जनहित में या परियोजना के उचित कार्यान्वयन के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन हो, तो निविदा प्रक्रिया के बाद सफल बोलीदाता को दिए जाने वाले अनुबंध के नियमों और शर्तों को संशोधित करना। इस संबंध में बीईडीएफ का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।
- 6) इस दस्तावेज के किसी भी खंड की व्याख्या के लिए बीईडीएफ का निर्णय अंतिम होगा और बोलीदाता पर बाध्यकारी होगा।
- 7) बिना कोई कारण बताए, किसी भी समय/चरण में निविदा को रद्द करना या निविदा दस्तावेजों में निहित किसी भी नियम और शर्त को शिथिल करना/संशोधन करना या वापस लेना।

अपरिहार्य घटना:

यदि किसी भी समय, इस अनुबंध की निरंतरता के दौरान, किसी भी पक्ष द्वारा, इसके तहत किसी भी दायित्व के पूर्ण या आंशिक रूप से कार्य-निष्पादन, शत्रुता, या विरोध द्वारा, सार्वजनिक शत्रु के कार्य, नागरिक हंगामा, तोड़फोड़, राज्य या सांविधिक प्राधिकरण से निर्देश, विस्फोट, महामारी, संगरोध प्रतिबंध, हड़ताल और तालाबंदी (जैसा कि ठेकेदार के प्रतिष्ठानों और सुविधाओं तक सीमित नहीं है), आग, बाढ़, प्राकृतिक आपदाएं (इसके बाद घटना के रूप में संदर्भित), बशर्ते कि ऐसी किसी भी घटना के होने की सूचना उसके घटित होने की तारीख से 15 कैलेंडर दिनों के भीतर प्रभावित पक्ष द्वारा दूसरे को दी जाती है, इस तरह की घटना के कारण कोई भी पक्ष इस अनुबंध को समाप्त करने का हकदार नहीं होगा, और न ही किसी भी पक्ष के पास इस प्रकार के गैर-निष्पादन या निष्पादन में देरी के संबंध में अन्य के विरुद्ध हानि के लिए ऐसा कोई दावा होगा, बशर्ते अनुबंध व्यावहारिक रूप से, ऐसी घटना के समाप्त होने के बाद जल्द से जल्द फिर से शुरू हो जाए। अध्यक्ष, बीईडीएफ / एपीडा का निर्णय कि क्या सेवा को फिर से शुरू किया जा सकता है (और समय सीमा जिसके भीतर सेवा फिर से शुरू की जा सकती है) अंतिम और निर्णायक होगा, बशर्ते कि यदि कार्य-निष्पादन पूर्ण या आंशिक रूप से इस अनुबंध के तहत दायित्व को 30 दिनों से अधिक की अवधि के लिए ऐसी किसी भी घटना के कारण रोका या विलंबित किया जाता है, कोई भी पक्ष अपने विकल्प पर अनुबंध को समाप्त कर सकता है।

विवाद समाधान

1. इससे उत्पन्न होने वाले विवाद के सभी मामले भारतीय कानून द्वारा अधिशासित होंगे और केवल नई दिल्ली में न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अधीन होंगे।
2. किसी भी विवाद की स्थिति में दोनों पक्षों को सुलह प्रक्रिया के माध्यम से समाधान करने का हरसंभव प्रयास करना होगा।
3. इसके संबंध में अनसुलझे समझौते के तहत उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न, विवाद या मतभेद की स्थिति में (मामलों को छोड़कर, निर्णय जो विशेष रूप से इस समझौते के तहत प्रदान किया गया है) इसे भारतीय मध्यस्थतम और सुलह अधिनियम, 1996 के अनुसार अध्यक्ष, एपीडा द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एकमात्र मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया जाएगा और दिया गया निर्णय पार्टियों पर बाध्यकारी होगा।
4. भारतीय मध्यस्थतम एवं सुलह अधिनियम 1996 (समय-समय पर यथासंशोधित) के प्रावधान दोनों पक्षों पर लागू होंगे। मध्यस्थतम कार्यवाही का स्थान एपीडा कार्यालय या अध्यक्ष, एपीडा द्वारा निर्धारित किया गया कोई अन्य स्थान होगा। पूर्वोक्त किसी भी संदर्भ पर, कार्य हेतु कार्यवाही में लागत और आकस्मिक खर्चों का आकलन अध्यक्ष, एपीडा के विवेक पर होगा।
5. मध्यस्थतम को देय शुल्क का भुगतान दोनों पक्षों द्वारा समान रूप से किया जाएगा। मध्यस्थतम कार्यवाही में प्रयुक्त भाषा अंग्रेजी होगी।

क्षतिपूर्ति

एजेंसी किसी भी और सभी कार्यवाही, कार्रवाई, नुकसान, क्षति, व्यय, लागत और तीसरे पक्ष के दावों, चाहे वह वित्तीय हो या अन्यथा, जिसमें ईपीएफओ/ईएसआईसी/सरकारी विभागों/स्थानीय निकायों/सांविधिक प्राधिकरणों आदि को देय अंशदान का भुगतान शामिल है, जो बीईडीएफ अनुबंध की अवधि के दौरान और उसके बाद अनुबंध की अवधि से संबंधित किसी भी समय, एजेंसी, उसके उप-ठेकेदारों, उप-एजेंटों, कर्मचारियों आदि द्वारा अनुबंध के तहत अपने किसी भी दायित्व के उल्लंघन के कारण बनाए रख सकता है, वहन कर सकता है, भुगत सकता है या उजागर हो सकता है, के विरुद्ध बीईडीएफ और उसके अधिकारियों/कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति करेगी, रक्षा करेगी और उन्हें हानिरहित रखेगी।

जाँच सूची (चेकलिस्ट)

तकनीकी मूल्यांकन मानदंडों को पूरा करने के लिए फर्मों को निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड/संलग्न करने आवश्यक हैं:

1. जीएसटी पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति।
2. पैन कार्ड की प्रति।
3. विनिर्माता से प्राप्त प्राधिकरण पत्र की प्रति।
4. बोली दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर बोलीदाता के हस्ताक्षर और मुहर अनिवार्यतः होनी चाहिए।
5. **अनुलग्नक - ख** में उल्लिखित विधिवत भरा हुआ अंग्रेषण पत्र (फर्म/बोलीदाता के लेटर हेड पर) और वित्तीय कोटेशन (**अनुलग्नक - ग**)।

बोलीदाता हस्ताक्षर

बोलीदाता मुहर

अनुलग्नक - ख

(फर्म/बोलीदाता के लेटर हेड पर)

प्रति,
डॉ. रितेश शर्मा,
संयुक्त निदेशक
बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान (एपीडा, वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार)
प्रयोगशाला-सह-कार्यालय परिसर, एस.वी.पी.यू.ए.टी. पुराना परिसर,
मोदीपुरम मेट्रो स्टेशन के पास, मोदीपुरम, मेरठ-250110 (उत्तर प्रदेश)

महोदय,

मैं/हम इस बोली को जमा करने के इच्छुक हैं और एतद्वारा बीईडीएफ / एपीडा द्वारा प्रकाशित संदर्भ संख्या: एफ सं. BEDF-2022-23-000051/048 दिनांक 08.06.2026 की निविदा आमंत्रण सूचना में निर्धारित सभी नियम एवं शर्तों को स्वीकार करने की अपनी सहमति प्रदान करते हैं।

2. मैं/हम यह घोषणा करता हूँ / करते हैं कि मेरी/हमारी फर्म उस विनिर्माता की अधिकृत डीलर/आपूर्तिकर्ता है जिसकी दरें मेरी फर्म द्वारा उद्धृत की गई हैं। साथ ही, मेरी/हमारी फर्म को पिछले तीन वर्षों के दौरान किसी भी सरकारी/अर्ध-सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों /स्वायत्त निकायों द्वारा उद्धृत मदों की आपूर्ति के लिए प्रतिबंधित नहीं किया गया है। मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तावित दरें गंतव्य स्थान यानी बीईडीएफ, एस.वी.पी.यू.ए.टी.पुराना परिसर, मोदीपुरम मेट्रो स्टेशन के पास, मोदीपुरम, मेरठ-250110 (उत्तर प्रदेश) के आधार पर हैं।
3. मैं/हम यह समझता हूँ / समझते हैं कि प्रस्तुत दस्तावेज वास्तविक/प्रामाणिक हैं और कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई नहीं गई है। मैं/हम किसी भी सरकारी संगठन/स्वायत्त निकायों/पीएसयू आदि द्वारा प्रतिबंधित नहीं हूँ / हैं और अनुबंध करने हेतु सक्षम हूँ / हैं। मैं/हम यह समझते हैं कि यदि यह पाया जाता है कि अनुबंध धोखाधड़ी या सूचना छिपाकर प्राप्त किया गया है, तो इसे रद्द किया जा सकता है।

(अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर)

बोलीदाता का नाम _____

पत्राचार का पता _____

संपर्क विवरण _____

बोलीदाता हस्ताक्षर

बोलीदाता मुहर

अनुलग्नक - ग

हिपुरा (HiPurA) प्लांट जीनोमिक DNA किट की खरीद के लिए वित्तीय कोटेशन

क्र. सं.	नामपद्धति	निर्माता/कंपनी	मात्रा	GST (Rs)	GST सहित प्रति यूनिट कुल राशि
1	HiPurA प्लांट जीनोमिक DNA मिनीप्रेप प्यूरिफिकेशन किट	HiMedia (MB507-250PR)	01		